

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक  
पीठासीन अधिकारी-

मिसल नम्बर

124 / 2023 / प्रा.पत्र / 2023

तारीख दायरा

11.12.2023

सुरेश चौधरी

आर.ए.एस.

तारीख निर्णय

02.07.2024

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण,  
टोंक

बनाम

.....प्रार्थी

- 1-श्री जगदीश मीणा पुत्र श्री रामचन्द्र मीणा निवासी ग्राम रूपपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक एफ.बी.ओ./विक्रेता मैसर्स जे.एस.एच. चौधरी मावा पनीर उद्योग कृषि मण्डी के सामने, टोंक जिला टोंक। पिनकोड-304001 मोबाईल नं. 6378118312
- 2-श्री सत्यनारायण चौधरी पुत्र श्री बंदी लाल जाट प्रोपरायटर मैसर्स जे.एस.एच. चौधरी मावा पनीर उद्योग कृषि मण्डी के सामने, टोंक जिला टोंक। पिनकोड-
- 3-मैसर्स जे.एस.एच. चौधरी मावा पनीर उद्योग कृषि मण्डी के सामने, टोंक जिला टोंक। पिनकोड-304001

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-

1-पेरोकार सरकार।

2-अप्रार्थीगण की ओर से श्री सत्यनारायण चौधरी उप.।

**:—निर्णय—:**

दिनांक 02.07.2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 07.06.2023 को समय 03:00 पीएम पर मैसर्स जे.एस.एच. चौधरी मावा पनीर उद्योग कृषि मण्डी के सामने, टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर विक्रेता की हैसियत से श्री जगदीश मीणा पुत्र श्री रामचन्द्र मीणा अपने प्रतिष्ठान पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री जगदीश मीणा ने स्वयं को प्रतिष्ठान का विक्रेता होना स्वीकार किया तथा श्री सत्यनारायण चौधरी पुत्र श्री लाल जाट को उक्त फर्म का प्रोपरायटर होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में डीप फ्रीजर में स्टील की एक परात में लगभग 8-9 किलोग्राम दही (मिश्रित दूध से निर्मित) रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व



निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री जगदीश मीणा को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना जांच कर्य करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता श्री जगदीश मीणा व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक भगोने में लगभग 8-10 किलोग्राम दही (मिक्सड मिल्क बेस्ड) में से एक स्टील के जग में 800 ग्राम दही (मिश्रित दूध से निर्मित) इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन से तुलवाकर वास्ते नमूना जांच खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा दही (मिश्रित दूध से निर्मित) 800 ग्राम को प्लास्टिक की साफ व सूखी 04 शिशियों में प्रत्येक शिशी में 200-200 ग्राम दही (मिश्रित दूध से निर्मित) वेंडिंग मशीन से तुलवाकर अलग-अलग शिशियों में भरकर, प्रत्येक शिशी में 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 16-16 बूंदे डालकर अच्छी तरह हिला-मिलाकर एक रूप करके, शिशियों के ढक्कन को नियमानुसार अच्छी तरह एयर टाइट बन्द कर, नियमानुसार चार भाग तैयार कर एवं प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-3655 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-3655 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/701 दिनांक 19.07.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./2379/एक्ट/2023/2381 दिनांक 20.06.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया दही (मिश्रित दूध से निर्मित) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 के अनुसार अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री सत्यनारायण चौधरी स्वयं उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके नमूने में कुछ मात्रा फैट की कम होने के



कारण यह नमूना अवमानक पाया गया है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस दही (मिश्रित दूध से निर्मित) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया दही (मिश्रित दूध से निर्मित) का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 10,000/- (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 02.07.2024 से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(सुरेश चौधरी)  
न्याय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक-राज0